बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 माघ, 1925 (श०)

(सं० पटना 55) पटना, शुक्रवार 6 फरवरी 2004

सं० 3।एम149।2001-7457

कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

11 सितम्बर 2002

विषय:—सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय उनके विरुद्ध निलम्बन।अनुशासनिक।आपराधिक कार्यवाही आदि के लंबित मामलों की स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत ।

राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रोन्नति पर विचार के समय आरोपों, प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों, अनुशासनिक।आपराधिक कार्यवाही एवं लोकायुक्त के द्वारा निर्गत नोटिस आदि के कुप्रभाव के संबंध में विभिन्न परिपत्रों।संकल्पों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाता रहा है । उदाहरणार्थ कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प सं० 4512, दिनांक 12 मार्च 1979 एवं 9146, दिनांक 12 जुलाई 1991 के द्वारा प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के कुप्रभाव के संबंध में और पत्रांक 18326, दिनांक 27 सितम्बर 1998 के द्वारा लोकायुक्त अधिनियम की धारा 10 (1) (क) के अन्तर्गत निर्गत नोटिस के प्रथम दृष्टया प्रमाणित माने जाने का मार्ग दर्शन दिया गया है । इस विषय के संबंध में भारत संघ बनाम के० वी० जानकी रमण एवं अन्य के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये न्याय निर्णय के आलोक में भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन सं० 22011। 4।91-स्था० (क), दिनांक 14 सितम्बर 1992 के द्वारा एक अद्यतन मार्गदर्शन निर्गत किया गया है । राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार का उपर्युक्त मार्गदर्शक सिद्धांत राज्य कर्मियों के लिये लागू करने का विषय विचाराधीन था ।

2. प्रक्रिया एवं मार्गदर्शी सिद्धांत—राज्य सरकार ने इस विषय पर सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि केन्द्र सरकार के दिनांक 14 सितम्बर 1992 के उक्त कार्यालय ज्ञापन के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप राज्य के सभी सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार के लिये भी निम्नांकित प्रक्रियाओं एवं मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाय ।

(*i*) सरकारी सेवकों की प्रोन्नति पर विचार करते समय आरोपों के केवल निम्नांकित मामलों का कुप्रभाव पड़ेगा और विभागीय प्रोन्नति समिति इस संकल्प में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार विचार करेगी ।

(क) निलम्बित सरकारी सेवक ।

(ख) सरकारी सेवक जिनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया हो और आरोप पत्र निर्गत किया गया हो, और

(ग) सरकारी सेवक जिनपर किसी आपराधिक आरोप के लिये फौजदारी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही लंबित हो,

[व्याख्या-आपराधिक कार्यवाही उस तिथि से लंबित समझी जायेगी, जिस तिथि को फौजदारी न्यायालय में अभियोग पत्र (charge sheet) समर्पित किया गया है ।]

(*ii*) विभागीय प्रोन्नति समिति ऊपर वर्णित कोटियों के अन्तर्गत आनेवाले सरकारी सेवकों के मामले पर भी, उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामलों आपराधिक कार्यवाही रहते हुए भी, अन्य सुयोग्य उम्मीदवारों के साथ प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता का मूल्यांकन करेगी । विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष (जिसमें प्रोन्नति के लिये अयोग्य भी शामिल हो सकता है) मुहरबन्द लिफाफा में रखा जायेगा । इस लिफाफे के ऊपर "श्री ..... (सरकारी सेवक का नाम) के संबंध में ..... ग्रेडपद पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष ! इसे .....के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले।आपराधिक कार्यवाही के निष्पादन के उपरान्त ही खोला जायेगा अंकित किया जायेगा । विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही से संबंधित सरकारी सेवक के विषय में मात्र इस आशय की टिप्पणी अंकित की जायेगी कि "निष्कर्ष संलग्न मुहरबन्द लिफाफे में रख दिया गया है ।"

(*iii*) जब किसी सरकारी सेवक की प्रोनति के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति की उपयुक्तता संबंधी निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया हो तो एतद् संबंधी रिक्ति को स्थानापन्न आधार पर भरा जा सकता है ।

(*iv*) उपर्युक्त कंडिका (2) में उल्लिखित *प्रक्रिया भविष्य में* आयोजित की जानेवाली सभी विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा भी तब तक अपनाई जाती रहेगी जबतक कि वह संबंधित सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामला।आपराधिक कार्यवाही समाप्त नहीं हो जाती है ।

(*v*) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति किसी भूतलक्षी तिथि के प्रभाव से प्रोन्नति पर विचार कर रही हो तो भी उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार मुहरबन्द लिफाफे में निष्कर्ष रखा जायेगा ।

(*vi*) ऐसे किसी अनुशासनिक मामले।आपराधिक कार्यवाही, जिसमें सरकारी सेवक के विरुद्ध आरोपों को समाप्त कर दिया जाता है अथवा वापस ले लिया जाता है, के निष्पादित हो जाने पर मुहरबन्द लिफाफे।लिफाफों को खोला जायेगा । ऐसे मामले में जब संबंधित सरकारी सेवक को पूर्णतः दोषमुक्त कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में उसकी प्रोन्नति की तारीख मुहरबन्द लिफाफों में रखे गए निष्कर्षों के अनुसार, उसके लिये निर्धारित क्रमानुसार तथा उस क्रम में उससे नीचे के कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में निर्धारित की जायेगी ऐसे सरकारी सेवक को यदि जरुरी हो तो स्थानापन्न आधार पर कार्य करने वाले कनिष्ठतम व्यक्ति को पदावनत (रिवर्ट) कर प्रोन्नति किया जा सकेगा । ऐसे पदाधिकारी को, उनके कनीय अधिकारी की प्रोन्नति की तारीख के संदर्भ में, वैचारिक रूप से (नोशनल) प्रोन्नत किया जा सकेगा । संबंधित सरकारी सेवक को वास्तविक प्रोन्नति की तिथि से पूर्व वैचारिक(नोशनल) प्रोन्नति की अवधि के लिये बकाया वेतन का भुगतान किया जायगा अथवा नहीं और, यदि हां, तो किस सीमा तक, इसका निर्णय संबंधित मामले में नियोक्ता प्राधिकार द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही के सभी तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए लिया जायेगा । जहां कहीं भी प्राधिकार द्वारा वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों को अस्वीकृत किया जाता है तो ऐसे निर्णय के कारणों को रिकार्ड किया जायेगा । ऐसे सभी स्थितियों का पूर्वानुमान लगाया जाना तथा विस्तृत रूप में निरुपित करना संभव नहीं है, जिनके अन्तर्गत वेतन अथवा उसके किसी अंश के बकायों का अस्वीकृत करना जरुरी हो, तथापि उदाहरणार्थ ऐसे मामलों में वेतन भुगतान अस्वीकृत किया जा सकता है जहां कार्यवाही (चाहे अनुशासनक या आपराधिक) में स्वयं सरकारी सेवक के अनुरोध के कारण विलम्ब हुआ हो अथवा जहां अनुशासनिक कार्यवाही में दी गई विमुक्ति (क्लीयरेंस) या आपराधिक कार्यवाही में दोषमुक्ति (एक्वीटल) संदेह लाभ के कारण हो, अथवा साक्ष्य उपलब्ध न होने से संबंधित कर्मचारी के कृत्यों से जोड़ा जा सके ।

(*vii*) यदि अनुशासनिक कार्रवाई के परिणामस्वरुप सरकारी सेवक को को दंड दिया जाता है अथवा उसके विरुद्ध आपराधिक अभियोजन में उसे दोषी पाया जाता है, तो उस स्थिति में मुहरबन्द लिफाफे नहीं खोले जायेंगे और उसकी प्रोन्नति के मामले पर, सामान्यतः उसे दिये गये दंड को ध्यान में रखते हुए अगली विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक में विचार किया जायेगा ।

3. दोषी पाये जाने पर दंड की सीमा—यह भी स्पष्ट किया जाता है कि किसी ऐसे मामले में जहां सुसंगत नियमों के अधीन कोई अनुशासनिक कार्रवाई की गयी हो और सरकारी सेवक को दोषी पाया गया हो तो ऐसी कार्रवाई के परिणामस्वरुप उसे मात्र "चेतावनी" की सजा नहीं दी जानी चाहिए । यदि कार्रवाई के परिणामस्वरुप ऐसा पाया जाता है कि सरकारी कर्मचारी पर आरोप प्रमाणित होता है तो उसे कम-से कम "निन्दन" की सजा दी जानी चाहिए ।

4. कार्यवाही के निष्पादन में शीघ्रता—यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि सरकारी सेवक के विरुद्ध लगाये गये किसी अनुशासनिक मामले।आपराधिक कार्यवाही में अनावश्यक रुप से विलम्ब नहीं किया जाय और इस संबंध में कार्रवाई को शीघ्रताशीघ्र अंतिम रुप दिये जाने के सभी प्रयास किये जाये, ताकि सरकारी सेवक के मामले को मुहरबन्द लिफाफे में कम से कम अवधि तक ही रखने की परिस्थिति बने । अतः यह निर्णय लिया गया है कि संबंधित नियोक्ता प्राधिकारों को चाहिए कि वे ऐसे सरकारी सेवकों के प्रकरणों की, जिनके उपयुक्तता संबंधी मामले को अगले ग्रेड पर प्रोन्नति करने के लिये विभागीय प्रोन्नति समिति ने संज्ञान लिया था और सरकारी सेवक की उपयुक्तता पर विचार कर अपने निष्कर्षों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा था, उनके मामलों पर विभागीय प्रोन्नति समिति के आयोजन की तारीख से छः माह की अवधि समाप्त होने पर विस्तृत रुप से समीक्षा की जानी चाहिए । ऐसी समीक्षा बाद में भी, हर छः महीने के अन्तर पर की जानी चाहिए । इस समीक्षा में अन्य बातों के साथ साथ अनुशासनिक कार्रवाई।आपराधिक कार्यवाही में हुई प्रगति का जायजा लिया जाना चाहिए था तथा इन्हें जल्द-से जल्द पूरा करने के लिये आगामी उपायों परभी विचार किया जाना चाहिए ।

5. कार्यवाही निष्पादन में विलम्ब की स्थिति में तदर्थ प्रोन्नति की संभावना—उपर्युक्त कंडिका-4 में उल्लिखित छमाही समीक्षा किये जाने के बावजूद, कुछ ऐसे मामले भी हो सकते हैं, जिनमें पहली विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसने सरकारी सेवक के संबंध में अपने निष्कर्षों को मुहरबन्द लिफाफे में रखा था, की बैठक की तारीख से दो साल बाद भी सरकारी सेवक के विरुद्ध अनुशासनिक मामले।आपराधिक अभियोजन संबंधी मामलों में अंतिम रुप नहीं दिया जा सका है । ऐसी परिस्थिति में नियुक्ति अधिकारी ऐसे सरकारी सेवक के मामले की समीक्षा करें । अगर वह सरकारी सेवक निलम्बनाधीन न हो, तो निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखते हुए उसे तदर्थ प्रोन्नति दिये जाने की संभावना पर विचार किया जाए :—

(क) क्या सरकारी सेवक की प्रोन्नति लोकहित के विरुद्ध होगी ?
(ख) क्या आरोप इतने गंभीर है कि उसे प्रोन्नति से वंचित रखे रहना जरूरी है ?
(ग) क्या निकट भविष्य में इस मामले के पूरा होने की संभावना है ?
(घ) क्या किसी विभागीय अथवा किसी आपराधिक कार्यवाही को अंतिम रुप दिये जाने में होने वाले विलम्ब में सीधे तौर पर अथवा परोक्ष रुप में संबंधित सेवक का कोई हाथ है ?
(ङ) क्या ऐसी कोई संभावना है कि संबंधित सेवक तदर्थ प्रोन्नति के बाद प्राप्त हुई अपनी सरकारी हैसियत का दुरुपयोग कर सकता है और जिसके परिणामस्वरुप विभागीय मामले।आपराधिक कार्यवाही से संबंधित कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ?

नियुक्ति प्राधिकार यदि उचित समझे तो कारणों को लिखित रुप से दर्शाते हुए लोकायुक्त के कार्यालय, निगरानी विभाग अथवा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जिसके प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक कार्रवाई।आपराधिक अभियोजन प्रारम्भ हुआ था से परामर्श लिया जा सकता है । किंतु नियुक्ति प्राधिकार इस संकल्प में उल्लिखित निदेशों के विपरीत परामर्श को मानने के लिये बाध्य नहीं होंगे ।

6. तदर्थ प्रोन्नति पर विचार—यदि नियुक्ति प्राधिकार इस आशय के किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है कि सरकारी सेवक को तदर्थ प्रोन्नति दिया जाना लोकहित के विरुद्ध नहीं होगा तो उस परिस्थिति में इस संबंध में इस आशय का कोई निर्णय लिये जाने के लिये कि यथासंबंधित अधिकारी तदर्थ आधार पर प्रोन्नति के लिये उपयुक्त है या नहीं, उसके मामले को दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद सामान्यतः आयोजन की जाने वाली अगली विभागीय प्रोन्नति समिति के सम्मुख रखा जाना चाहिए । इस प्रकार के सभी मामले में जहां सरकारी सेवक के नाम पर तदर्थ प्रोन्नति के लिये विचार किया जाना हो, वहां विभागीय प्रोन्नति समिति को चाहिए कि वह, उस सरकारी सेवक के विरुद्ध लंबित अनुशासनिक मामले।आपराधिक कार्यवाही पर ध्यान नहीं देते हुए, उस व्यक्ति के सेवा के समय रिकार्ड के आधार पर इस मामले का मूल्यांकन करें ।

7. तदर्थ प्रोन्नति सम्बन्धी आदेश— किसी सरकारी सेवक की तदर्थ के आधार पर प्रोन्नति किये जाने के संबंध में निर्णय ले लिये जाने के बाद ही उसकी प्रोन्नति का आदेश जारी किया जाना चाहिए और जारी आदेश में ही उल्लेख किया जाना चाहिए कि :—

(i) प्रोन्नति विशुद्ध रूप में तदर्थ आधार पर की जा रही है और इस तदर्थ प्रोन्नति से सरकारी सेवक को नियमित प्रोन्नति का कोई हक हासिल नहीं होगा तथा
(ii) प्रोन्नति "अगले आदेश तक" ही होगी । इस प्रकार के आदेशों में यह भी दर्शाया जाना चाहिए कि सरकार उक्त तदर्थ प्रोन्नति को रद्द करने तथा संबंधित कर्मचारी को उसी पद पर वापस भेजने का अधिकार सुरक्षित रखती है जिस पद से उसे प्रोन्नति किया गया है ।

8. तदर्थ प्रोन्नति का विनियमन—यदि संबंधित सरकारी सेवक को मामले के गुण-दोष के आधार पर आपराधिक अभियोजन से दोष मुक्त कर दिया जाता है अथवा विभागीय कार्यवाही में पूरी तरह दोषरहित करार कर दिया जाता है तो तदर्थ प्रोन्नति को नियमित प्रोन्नति में बदल दिया जाय तथा तदर्थ प्रोन्नति होने की तारीख

से ही सभी संबंधित प्रसुविधाओं को नियमित प्रोन्नति के रुप में संबंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाय यदि ऐसे सरकारी सेवक को मुहरबन्द लिफाफे।लिफाफों में रखी गई विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाही से निश्चित किये गये उसके स्थानक्रम को देखते हुए तदर्थ प्रोन्नति की तारीख से पहले की किसी तारीख से और उसी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति, जिसे उक्त सरकारी सेवक के तत्काल बाद कनिष्ठ स्थान दिया गया है, की प्रोन्नति की वास्तविक तारीख से, संबंधित सरकारी सेवक को उपर्युक्त कंडिका-2 (vi) में निरुपित देय वरिष्ठता तथा कल्पित (नोशनल) प्रोन्नति की सुविधायें दे दी जायेंगी ।

9. दोषमुक्त नहीं होने पर प्रत्यावर्त्तन—यदि सरकारी सेवक को आपराधिक कार्यवाही से गुण-दोष के आधार पर दोषमुक्त नहीं किया जाता है, बल्कि तकनीकि आधार पर ऐसा किया जाता है और सरकार इस मामले को किसी उच्च न्यायालय में अपील में ले जाना चाहती है अथवा विभागीय तौरपर उसके विरुद्ध कार्यवाही करना चाहती है अथवा यदि ऐसे सरकारी सेवक को विभागीय कार्यवाही से दोष रहित करार नहीं दिया जाता है तो प्रोन्नति को रद्द कर उसे निम्नतर पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया जाना चाहिए ।

10. निलंबित सरकारी सेवक के स्थायीकरण का दावा—किसी निलंबनाधीन सरकारी सेवक के स्थायीकरण के दावे पर बिचार करते समय भी पिछली कंडिकाओं में उल्लिखित प्रक्रियाओं का ही अनुसरण किया जाना चाहिए जब ऐसे किसी अधिकारी के मामले को विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा मुहरबन्द लिफाफे में रखा जाता है तो उसके लिये एक स्थायी रिक्ति भी सुरक्षित रखी जानी चाहिए ।

11. विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के बाद कंडिका 2 (i) की स्थिति सामने आना—कोई सरकारी सेवक, जिसकी विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा प्रोन्नति की सिफारिश तो की जाती है, परन्तु जिसके मामले में कंडिका 2 (i) में उल्लिखित कोई स्थिति विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशें प्राप्त होने के बाद, परन्तु वास्तविक रूप में उसकी प्रोन्नति होने से पहले सामने आती है, तो उन पर उसी प्रकार से विचार किया जायेगा जैसे कि विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा निष्कर्ष मुहरबन्द लिफाफे में रखा गया होता । ऐसे सरकारी सेवक को तबतक प्रोन्नति नहीं किया जायेगा जब तक उसे उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों से पूरी तरह दोषमुक्त न कर दिया जाये और इस संकल्प में दिये गये उपबन्ध उसके मामले में भी लागू होंगे ।

12. यह निर्णय तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा ।

13. राज्य सरकार द्वारा इस संदर्भ में पूर्व में निर्गत संकल्प पत्र।अनुदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे ।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प तुरन्त लागू होगा । इसे बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियां सभी विभाग।विभागाध्यक्ष।सभी प्रमंडलीय आयुक्त । सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सरकार के मुख्य सचिव ।

बिहार गजट (असाधारण), 55—लाईनो—571—1000—एल० बी० राम ।